Indo-Soviet Agreement in the Field of Earth Sciences

3493. PROF. MADHU DANDAVATE:

SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether India and Soviet Russia have entered into an agreement to have a joint programme in the field of Earth-Sciences;

(b) if so, what is the scope and nature of the programme; and

(c) what machinery is envisaged for the implementation of the programme?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) An agreement for joint programmes in the field of Earth-Sciences has been entered into between the Indian and Soviet side of the Indo-Soviet Joint Committee for scientific collaboration.

(b) There is a provision for exchange of scientists between the two countries and supply of equipment by the Soviet side to the Indian side for specific projects as and when necessary. The following two projects have been identified in this programme:

(i) Studies on geo-magnetic and geo-electric micropulsations in India;

(ii) Crustal studies in the Indian Peninsula shields using deep seismic sounding techniques.

(c) Projects agreed to by the Joint Committee are implemented on institution to institution basis.

गांधी इरविन समझौते के अन्तर्गत रिहा किये गये स्वतन्त्रता सेनानी

3494. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री शंकरराव सावन्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी–इरविन समझौते के फलस्वरूप उन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को जेलों से रिहा का दिया गया था जिनको छः महीने अथवा उससे अधिक की सजा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों ने भी पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है और शेष स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) –उन व्यक्तियों की पात्रता के बारे में जिन्हें छः महीने अथवा अधिक की कैद की सजा दी गई थी तथा गांधी–इरविन समझौते अथवा अन्य सामान्य क्षमा आदेशों के कारण समय से पहले रिहाकर दिया गया था, अभी निर्णय किया जाना है । अभी तक ऐसे लगभग 700 आवेदन–पत्र ध्यान में आये हैं । ये आवेदन पत्र सरकार के निर्णय के अनुसार निपटाये जायेंगे ।